न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 418 सन 2016
पंजीयन दिनांक :- 27.10.2016

1. श्रीमती इन्द्रा पत्नी संजय जाति पालेचा निवासी नयाबाजार निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
2. सिद्धार्थ पिता ज्ञानचंद पालेचा निवासी नयाबाजार निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
3. श्रीमती अनिता देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति पालेचा निवासी नयाबाजार निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ

-अपीलांट्गण

विरुद्ध

1. श्रीमती मयूरी पत्नी हरीश कुमार जाति चुगवानी सिंधी निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
2. किशोर कुमार पिता भैरूलाल जाति चुगवानी सिंधी निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
3. श्यामसुन्दर पिता घुमनमल जाति चुगवानी सिंधी निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
4. मुरलीधर पिता घुमनमल जाति चुगवानी सिंधी निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
5. बालूलाल पिता हीरालाल जाति सुथार निवासी कॉलेज के पास बाईपास रोड निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
6. अनिल कुमार पिता छीतरमल जाति समदानी मार्फत अशोक कुमार लढ्ढा निवासी आदर्श कॉलोनी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
7. अशोक कुमार पिता राधेश्याम लढ्ढा जाति माहेश्वरी निवासी आदर्श कॉलोनी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
8. तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
9. श्रीमती नर्बदा बाई पुत्री हीरालाल पत्नी राधेश्याम जाति सुथार - मृतक के बजाय प्रहलाद पिता राधेश्याम जाति सुथार निवासी रानीखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
10. श्रीमती स्नेहलता पत्नी अनिल कुमार जाति समदानी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

11. दिव्या पुत्री गोवर्धनलाल जाति समदानी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

12. कौशल्या पत्नी गोवर्धनलाल जाति समदानी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

13. विजय लक्ष्मी पत्नी दीपक गोवर्धनलाल जाति समदानी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

—रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अन्तिम निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा बमिसल क्रमांक 128/2010 अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2016

उपस्थित— 1. छोगालाल जाट— अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. शांतिलाल बसेर— अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3 व 4
3. खूमराज कुमावत— अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5,6 व 7
4. हीरालाल जाट— अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9
5. पूरणमल स्वर्णकार— राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8

निर्णय

दिनांकः—20.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने इस न्यायालय मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 वादीगण के पक्ष में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 वादीगण ने अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण संख्या 5 से लगायत 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मौजा निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा की साबिक आराजी नम्बर 1090 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, 1094 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 2551/1092 रकबा 1 बीघा कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 1422 रकबा 1.50 हैक्टर भूमि दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजियात में रेस्पोडेंट संख्या 12 वादीगण का 1/6 , रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 वादीगण का 1/6 कुल आराजियात में 1/3, अपीलांट संख्या 1 का 3/162वा

तहसील प्राधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

हिस्सा, अपीलांट संख्या 3 व 4 का संयुक्त 51/152 व शेष रेस्पोर्डेंट्गण का 1/3 हक व हिस्सा निहित है। उसी अनुसार विवादित कृषि आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस पक्षकारान के मध्य बंटवाडा कराया जावे। उक्त कृषि आराजियात के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट्गण 1 से 4 वादीगण ने जमाबंदी वर्ष 2058 से 2061 प्रदर्श 1 के रूप में प्रस्तुत की।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्गण व रेस्पोर्डेंट्गण 5 से 8 प्रतिवादीगण को जरिये सम्म नोटिस तलब किया गया। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सहखातेदारान ने सम्पूर्ण कृषि आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में बाहमी बंटवाडा कर रखा है व बाहमी बंटवाडे से सहखातेदारान अपने-अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बाहमी बंटवाडे के अनुसार ही सम्पूर्ण कृषि आराजीयात का हक हिस्से के अनुसार बंटवाडा कराया जावें। दावा जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दावा, जवाब दावा व काउण्टर क्लेम के अनुसार तनकियात कायम की गई व पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 नियत की गई। पत्रावली साक्ष्य में विचाराधीन रहते हुये दिनांक 01.07.2016 को राजस्व लोक अदालत में नियत की गई व राजस्व लोक अदालत में बिना किसी लिखित राजीनामें के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 पारित की गई व बिना पक्षकारान को सूचित किये अधीनस्थ कमिश्नर के द्वारा अपीलांट्गण की अनुपस्थिति में फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया व अधीनस्थ कमिश्नर के द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवाडे पर पक्षकारान की आपति व ऐतराज को सुने बगैर कमिश्नर के द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवाडे पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में दिनांक 18.10.2016 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की जिससे असंतुष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 4 से 7 ने इस न्यायालय में अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2016 के विरूद्ध दिनाकं 26.10.2016 को प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय में अपीलांट्गण प्रतिवादीगण 4 से लगायत 7 की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्गण तामिल की पालना में जरिये

अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर हमकिता की गई व पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई।

दौराने अपील प्रार्थीगण रेस्पोहेन्ट संख्या 9 से लगायत 13 ने प्रभावी पक्षकार होना मानते हुए प्रकरण में पक्षकार मुकदमा कायम किये जाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र का जवाब लिया जाकर प्रार्थना-पत्र पर दौराने अपील बहस उभयपक्ष सुनी गई व दिनांक 27.07.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से लगायत 13 को हितबद्ध मानते हुये पक्षकार मुकदमा रेस्पोडेन्टगण कायम किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 का अधीनस्थ विचारण न्यायालय में विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 व 10 से 13 के विरूद्ध प्रकरण संख्या 102/2019 विचाराधीन होना मानते हुये पक्षकार मुकदमा रेस्पोडेन्ट कायम किये जाने का आदेश पारित हुआ है। उक्त आदेश की पालना में संशोधित अनवान लिया जाकर पुनः पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपील की क्रम संख्या 3 पर ध्यान दिलाते हुये निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 वादीगण का 1/3 हिस्सा अपीलांटगण ने विक्रय किया। शेष 1/3 हिस्सा अपीलांटगण प्रतिवादीगण 4 से 7 के शेष रहा। राजस्व नक्शे में विवादित कृषि आराजीयात के उतर की तरफ रेस्पोडेन्ट संख्या 5 उसके दक्षिण की तरफ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 वादीगण व विवादित कृषि आराजीयात के दक्षिण में अपीलांटगण प्रतिवादीगण 4 से 7 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 की पालना में कमिश्नर स्वयं के द्वारा फर्द बंटवाडा मुरतिब नही किया जाकर बिना बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर मौके की स्थिति की विपरीत फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर पक्षकारान की आपति व ऐतराज सुने बगैर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसी आराजीयात को लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे घोषणा का वादपत्र प्रकरण 102/2019 विचाराधीन है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के वादपत्र का निस्तारण हुये बगैर अन्य सहखातेदारान के मध्य बंटवाडे की अन्तिम निर्णय व डिक्री अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई जो विधि अनूकूल नही होने

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

से अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 , 3, 4 ,5 , 6 व 7 ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा सहखातेदारान के मध्य बंटवाडे के सम्बन्ध में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री जो मौके पर कब्जे के अनुसार व राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक व हिस्से के अनुसार होना मानते हुए अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से प्रस्तुत अपील निराधार होना मानते अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

पेरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री जो सहखातेदारान के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक व हिस्से व कब्जे अनुसार मानते हुए अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान की ओर से की गई बहस व न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 वादीगण ने बंटवाडे का वादपत्र सह खातेदारान को प्रतिवादी कायम करते हुए प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। उक्त काउण्टर क्लेम का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 वादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 06.05.2013 को अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा तनकियात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 वादीगण नियत की गई । पत्रावली साक्ष्य वादी में विचाराधीन रहते हुए दिनांक 11.07.2016 को वास्ते जिरह नियत थी उससे पूर्व ही बिना सूचना दिये दिनांक 01.07.2016 को राजस्व लोक अदालत में नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामें के अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है व बिना अपीलांटगण को सूचित किये पटवारी हल्का के द्वारा अपीलांटगण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे दिनांक 04.10.2016 को फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर कमिश्नर के द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। उक्त फर्द बंटवाडे में उन सहखातेदारान के नाम भी फर्द बंटवाडा तैयार किया गया है जो कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नही रहे है व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने भी उक्त कृषि आराजीयात में हक व हिस्सा होना मानते हुए विचारण न्यायालय ने प्रकरण संख्या 102/2019 प्रस्तुत किया गया है

अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में विचाराधीन मानते हुए दिनांक 27.07.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के रूप में पक्षकार कायम किया गया व रेस्पोडेन्ट संख्या 10 से 13 जो सहखातेदार है उनको इस न्यायालय में पक्षकार मुकदमा कायम किये गये है। उक्त सभी पक्षकारों को सुना जाकर प्रकरण संख्या 102/2019 के साथ निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत होने से अपीलांटगण प्रतिवादीगण 4 से 7 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 128/2010 वाद में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2016 निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से लगायत 13 को पत्रावली में पक्षकार मुकदमा कायम किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से प्रस्तुत घोषणा का वाद प्रकरण संख्या 102/2019 जो इन्ही पक्षकारान के मध्य विचाराधीन है को संयोजित किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई को समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ